आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–61 / 2023	
17.11.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता श्री बिन्द प्रधान एवं अन्य, ग्राम–बमनगुटु, पो0–केरा, पंचायत–सिमीदीरी, प्रखण्ड–चक्रधरपुर, जिला–पश्चिमी सिंहभूम अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम आयोग कार्यालय में उपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी आयोग में उपस्थित हैं, जबकि शिकायतकर्ता अनुपस्थित हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि इस वाद में उन्हें 15 दिनों का समय दिया जाए, ताकि वे इस वाद से सम्बन्धित सभी तथ्य आयोग के समक्ष पेश कर पाएँ। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वे सम्बन्धित सभी तथ्य लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से समर्पित करें। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–15.12.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.12.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx133	